न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
14/2017/प्रार्थना पत्र	06.02.2017	20.04.2017

उनवान

कालू पिता गीला धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
– प्रार्थी

बनाम

1–3 धन्ना,रामहेत,कालू पिता गीला धाकड़ निवासी आमली बारेठ
4– किसना पिता बरदू कुमावत् निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
5– भैरू पिता जगदीश शर्मा निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
6– गलकू बेवा हरनाथ धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला
7–8 भैरू, पोखर पिता शिवनारायण मीणा निवासी आमली बारेठ
9– रोडू पिता रामकिशन धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला
10– शिवराज पिता रामधन धाकड़ निवासी आमली बारेठ
11– रामनाथ पिता लादू धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकला

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 38 आ0न0 1680 रकबा 0.88 है0 कुल किता 01 रकबा 0.88 है0 स्थित है। प्रार्थी की पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण नं0 1 लगायत 5 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण 1 लगायत 11 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार

किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम आमली बारेठ पटवार मण्डल बालापुरा संवत 2071 से 74 खाता संख्या 38 कुल किता 1 रकबा 0.88 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 38 आ0न0 1680 रकबा क्रमशः 0.88 है0 कुल किता 01 रकबा 0.88 है0 प्रार्थी के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
फूलिया कलॉ,जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉ,जिला–भीलवाड़ा